न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्याः— 02/2015 (पीडीआर एक्ट)

अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स योगेश चौधरी, 451 कृष्णा नगर भरतपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट 1952 (पीडीआर एक्ट) बाबत मैसर्स योगेश चौधरी, 451 कृष्णा नगर भरतपुर से 1146870/— रूपये वसूली बाबत।

उपस्थित :

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील प्रार्थी।
2. श्री राजेन्द्रसिंह वकील अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक : 20.6.2018

यह प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर द्वारा क्रमांक 178 दिनांक 14.5.2015 से जिलाधीश महोदय भरतपुर को भिजवाया गया जो प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा अनुभाग कलैक्ट्रट भरतपुर के क्रमांक 380 दिनांक 25 मई 2015 से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा पीडीआरएक्ट 1952 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 635—44 दिनांक 24.8.2004 राशि 48,85,188/— रूपये का कार्यादेश अनुबन्ध संख्या 05/2004—05 द्वारा दिया गया था। किन्तु अप्रार्थी द्वारा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं करने एवं डिफाल्टर फर्म/अप्रार्थी से 11,46,870/— की वसूली राजस्थान डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 (पीडीआर एक्ट) के तहत वसूली योग्य है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी मैसर्स योगेश चौधरी, 451 कृष्णा नगर भरतपुर को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से दिनांक 20.11.2015 को श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 22.12.2016 को जबाब भी पेश किया गया। नियत दिनांक को वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथनों में स्पष्ट किया कि मै0 योगेश चौधरी 451 कृष्णा नगर भरतपुर को कार्यालय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर के पत्रांक 635—44 दिनांक 24.8.2004 राशि 48,85,188/— रूपये का कार्यादेश अनुबन्ध संख्या 05/2004—05 द्वारा दिया गया था। कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 3.9.2004 एवं 2.1.2005 थी परन्तु फर्म द्वारा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 3206—09 दिनांक 25.2.2005 के द्वारा अनुबन्ध की धारा 2 व 3 सी की कार्यवाही की गई। दूसरी फर्म (मै0 गजानन्द कन्सट्रक्शन कम्पनी) द्वारा कार्य पूर्ण करने पर अप्रार्थी मै0 योगेश चौधरी पर

अनुबन्ध की धारा 2 व 3 सी की वसूली पेटे कार्यादेश राशि के आधार पर वसूली की जानी थी।

अनुबन्ध की धारा 2 के तहत वसूली	488519—00
अनुबन्ध की धारा 3 सी के तहत वसूली	775024—00
कुल	1263543—00

कुल वसूली राशि 12,63,543/— रूपये की वसूली में से मै0 योगेश चौधरी की इस खण्ड में जमा (एस0डी0 एवं अन्य) राशि 116673/— की वसूली करने के पश्चात शेष राशि 11,46,870/— रूपये वसूले जाने शेष है। डिफाल्टर फर्म/अप्रार्थी को जारी नोटिस को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजा गया था, जिसकी फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रयासों के बाबजूद वसूल नहीं की जा सकी है। वर्तमान में उक्त वसूली के विरूद्ध किसी तरह का स्थगन आदेश नहीं है। इसके अलावा वकील प्रार्थी का यह भी कहना है कि अप्रार्थी द्वारा जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर के यहां दावा संख्या 301/2016 पेश किया हुआ है । चूंकि पीडीआर एक्ट एक अलग कार्यवाही है दावे से पीडीआर एक्ट की वसूली पर कोई प्रभाव नहीं है क्यों कि वसूली न किये जाने के संदर्भ में आज दिनांक तक किसी भी अदालत का कोई स्थगन भी नहीं है। बाकीदार/अप्रार्थी कृष्णानगर भरतपुर का स्थानीय निवासी है और उसकी चल अचल सम्पत्ति भी यहीं स्थापित है इसलिऐ यह प्रकरण पीडीआर एक्ट के अंतर्गत वसूली बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है अन्य जगह पेश करने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। विभाग/प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को नोटिस क्रमांक 1902—04 दिनांक 23.11.04, एवं फायनल नोटिस क्रमांक 2029—32 दिनांक 10.12.04 एवं अनुबन्ध की धारा 2 व 3 सी की कार्यवाही के संदर्भ में क्रमांक 3206—09 दिनांक 25.2.2055 एवं बकाया राशि बाबत क्रमांक 1216 दिनांक 15.10.2014 भी अप्रार्थी योगेश चौधरी को जारी किया गया। तमाम प्रयासों के बाबजूद भी अप्रार्थी से वसूली न हो पाने के उपरान्त यह प्रकरण पेश किया गया है कृपया धारा—4 के अंतर्गत वसूली प्रमाण पत्र जारी कराने की कृपा करावें ताकि वसूली कार्यवाही आरम्भ की जा सके। अन्त में वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से उक्त वकाया राशि पीडीआरएक्ट 1952 के तहत वसूली किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Web Copy - Not Official

वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 22.12.2016 को प्रस्तुत जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र पी0डी0आर0एक्ट में अंकित सभी तथ्य बेबुनियाद एवं आधारहीन है। वास्तविकता यह है कि फर्म को टर्मिनल मार्केट मुहाना जयपुर की चारदीवारी मय गेट व चैक पोस्ट निर्माण करने हेतु अनुबन्ध निष्पादित हुआ था अनुपालना में वादी प्रार्थी फर्म को अपना निर्माण कार्य दिनांक 3.9.2004 से प्रारम्भ करना था। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस के अन्दर ले आउट प्लान उपलब्ध कराया जाना था किन्तु नहीं कराया गया । बार—बार सम्पर्क करने के उपरान्त प्रार्थी ने अप्रार्थी को 3400 मीटर के स्थान पर केवल मात्र 500 मीटर का ही लेआउट प्लान उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार प्रार्थी सम्पूर्ण लेआउट प्लान देने में असफल रहा फिर भी अप्रार्थी द्वारा लेआउट प्लान के मुताबिक कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा अप्रार्थी 560 मीटर पर ही चार दीवारी का निर्माण पूर्ण कर पाई। चूंकि प्रस्तावित टर्मिनल मार्केट जिस स्थान पर निर्माण किया जाना था उसके कुछ भू—भाग पर कुछ व्यक्तियों ने पूर्व से ही कब्जा कर रखा था उन कब्जेधारियों ने अप्रार्थी के कार्य में बाधा उत्पन्न की और कार्य नहीं करने दिया अप्रार्थी को निर्माण कार्य रोकना पडा और अनुबन्ध की अवधि समाप्त हो गई। अप्रार्थी का इसमें कोई दोष नहीं है। उक्त कार्य समय पर पूर्ण न होने में अप्रार्थी नहीं बल्कि प्रार्थी दोषी है क्यों कि उनके द्वारा समय पर लेआउट प्लान उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही मौके से कब्जे को हटवाया गया ये दोनों ही जिम्मेदारीयां

प्रार्थी की थी। इस तरह बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध वसूली कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके खिलाफ अप्रार्थी द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में रिट दायर की जिमसें अप्रार्थी को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधिकार नियमित वाद प्रस्तुत कर तय करावें उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में अप्रार्थी ने नियमित वाद विरूद्ध प्रार्थी प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है। यह कार्यवाही सूक्ष्म कार्यवाही है इसमें पक्षकारान के अधिकार व कर्तव्य निर्णित नहीं किये जा सकते है। इसलिऐ इस प्रकरण को नियमित वाद के अंतर्गत पारित निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के साथ इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अन्यथा नियमित वाद के निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 635–44 दिनांक 24.8.2004 राशि 48,85,188/– रूपये का कार्यादेश अनुबन्ध संख्या 05/2004–05 द्वारा दिया गया था। किन्तु अप्रार्थी द्वारा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार एवं तय समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं करने एवं डिफाल्टर फर्म होने के कारण अप्रार्थी से 11,46,870/– की वसूली की मांग की गई है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं जबाब में तय समय सीमा में कार्यपूर्ण न किया जाना स्पष्ट किया है हालाकि जबाब में कार्य पूर्ण न होने पर कुछ अडचने होना भी जाहिर किया है जैसे सम्पूर्ण लेआउट प्लान उपलब्ध न कराया जाना एवं निर्माणाधीन भू–भाग पर अवैध कब्जे का होना। ऐसी स्थिति में जब दूसरी फर्म द्वारा द्वारा वही निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया तो अप्रार्थी द्वारा क्यों नहीं कराया गया क्यों कि अप्रार्थी द्वारा बतायी गई अडचने तो किसी अन्य दूसरी फर्म के सामने भी आयी होगीं ? तो फिर उक्त निर्माण कार्य किस तरह पूर्ण हो गया ? अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य/वास्तविक तथ्य अदालत हाजा के समक्ष नहीं रखा जिससे यह माना जा सके कि वास्तव में उनके समक्ष दौराने निर्माण कार्य उनके द्वारा कथित समस्याऐं उत्पन्न हुई। अप्रार्थी को चूंकि वे अनुबन्ध से पाबन्द थे और तय समय सीमा में निर्माण कार्य कराया जाना था उसमें यदि कोई समस्याऐं आ रही थी तो वे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रार्थी के समक्ष रख सकते थे ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उनके द्वारा प्रार्थी को लिखित रूप से अवगत कराया गया हो। इस संदर्भ में विभाग/प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को नोटिस क्रमांक 1902–04 दिनांक 23.11.04, एवं अंतिम नोटिस क्रमांक 2029–32 दिनांक 10.12.04 एवं अनुबन्ध की धारा 2 व 3 सी की कार्यवाही के संदर्भ में क्रमांक 3206–09 दिनांक 25.2.2055 एवं बकाया राशि बाबत क्रमांक 1216 दिनांक 15.10.2014 भी अप्रार्थी योगेश चौधरी को जारी किया गया। किन्तु अप्रार्थी के द्वारा न तो तत्समय प्रार्थी को ही जबाब/अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिससे यह माना जा सके कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के उपरोक्त समस्त पत्रादियों का प्रत्युत्तर दिया गया हो। इसके अलावा वकील अप्रार्थी की ओर से इस आशय का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे वसूली पर स्थगन साबित हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र (अंतर्गत पीडीआरएक्ट 1952) स्वीकार योग्य रहता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र (अंतर्गत पीडीआरएक्ट 1952) प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी मैसर्स योगेश चौधरी, 451 कृष्णा नगर भरतपुर से वांछित शेष वसूल योग्य राशि 1146870/– रूपये की पीडीआर एक्ट के अंतर्गत वसूली हेतु जिला कलक्टर (डी0आर0ए0) भरतपुर को निर्णय प्रति के साथ पीडीआर एक्ट की धारा 4 के तहत प्रमाण पत्र भेजा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.6.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर